



## इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान

(दिल्ली विश्वविद्यालय), बी-ब्लॉक, विकासपुरी, नईदिल्ली-110018.

Email: [principal@igipess.du.ac.in](mailto:principal@igipess.du.ac.in) : Website: [www.igipess.du.ac.in](http://www.igipess.du.ac.in)

सन्दर्भ संख्या: आई०पी०ई०/2023/रा०भा०/1232

दिनांक: 21/12/2023

### कार्यालय आदेश / Office Order

संस्थान के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से आग्रह किया जाता है कि दिए गए प्रारूप में सत्र 2023-24 की दूसरी <sup>सत्र</sup> (जुलाई से सितम्बर) एवं तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के दौरान प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के इस्तेमाल का ब्योरा निगरानी समिति को कक्ष नं० 15 में दिनांक 26.12.2023 तक जमा करे।

कृपया इस मामले को प्राथमिकता पर लें।

अधोहस्ताक्षर/  
प्रो. ललित शर्मा  
संयोजक, निगरानी समिति

#### प्रतिलिपि:

1. निगरानी समिति के सदस्य (प्रो. ललित शर्मा, प्रो. संजीव कौशल, श्री भारत भूषण खत्री, श्री गुलशन पाहवा, श्री राज शर्मा, श्रीमती संगीता शर्मा, श्री चंद्रशेखर शर्मा, श्री अमित कुमार) ✓
2. प्रशासनिक अधिकारी ✓
3. अनुभाग अधिकारी (प्रशा) ✓
4. अनुभाग अधिकारी (लेखा) ✓
5. वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) - वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु ✓
6. कार्यालय फाइल
7. आंतरिक गुणवक्ता आश्वासन समिति फाइल

  
प्रो. ललित शर्मा  
संयोजक, निगरानी समिति

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों

आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(जुलाई - सितंबर)

.....को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता \_\_\_\_\_

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड \_\_\_\_\_ फोन नं. \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या \_\_\_\_\_
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या \_\_\_\_\_
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात \_\_\_\_\_
- (घ) केवल हिंदी में जारी किये गए कागजात \_\_\_\_\_

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या \_\_\_\_\_
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए \_\_\_\_\_
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए \_\_\_\_\_
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे \_\_\_\_\_

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

5. फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा \*

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या

\*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।

6. रजिस्टर में प्रविष्टियाँ (द्विभाषी) \_\_\_\_\_ % (प्रतिशत)

7. विभाग में कुल संगठन संख्या (रजिस्टर) = \_\_\_\_\_

8. संगठन में हिंदी वर्कण के साप्ताहिक \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

9. विभाग में हिंदी वर्कण की जानकारी रखने वाले अधिकारियों/प्रोचिकारियों की संख्या \_\_\_\_\_

10. बीई, नाम परिवर्तन इत्यादि का हिंदी में परिवर्तन \_\_\_\_\_

11. हिंदी भाषा की पुस्तकों पर खर्च \_\_\_\_\_ कुल व्यय (वार्षिक) \_\_\_\_\_

श्री

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों  
आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(अक्टूबर - दिसंबर)

.....को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता \_\_\_\_\_

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड \_\_\_\_\_ फोन नं. \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या \_\_\_\_\_  
(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या \_\_\_\_\_  
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात \_\_\_\_\_  
(घ) केवल हिंदी में जारी किये गए कागजात \_\_\_\_\_

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या \_\_\_\_\_  
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए \_\_\_\_\_  
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए \_\_\_\_\_  
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे \_\_\_\_\_

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

5. फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा \*

- हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या   
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या   
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या

\* हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।

6. रजिस्टर में प्रविष्टियाँ (हिंदी भाषा में) \_\_\_\_\_ % (प्रतिशत)  
7. विभाग में कुल संगठन संख्या (सम्पूत) = \_\_\_\_\_  
8. संगठन में हिंदी वर्कण्ड इलु साफ्टवेयर = \_\_\_\_\_  
9. विभाग में हिंदी वर्कण्ड की जानकारी रखने वाले अधिकारियों/अधीनस्थों की संख्या \_\_\_\_\_  
10. जोड़, नाम परिवर्तन इत्यादि का हिंदी में परिवर्तन \_\_\_\_\_  
11. हिंदी भाषा की पुस्तकों पर खर्च \_\_\_\_\_ कुल व्यय (वार्षिक) \_\_\_\_\_